रेलवे में समूह "घ" कर्मचारियों की अवैध भर्ती

4802. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में रेलवे के विभिन्न मंडलों में समूह "घ" के कर्मचारियों की भर्ती दुर्भावना से और अवैध तरीके से की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयवार इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी भर्ती के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), (ख) और (घ) ग्रुप "डी" के कर्मचारियों की अनियमित भर्ती के कुछ मामले नोटिस में आये हैं रेलवेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) **मध्य रेलवे** : जाली दस्तावेजों के आधार पर 9 व्यक्तियों की अनियमित भर्ती का एक मामला पकड़ा गया था, इन व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया था और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(ii) **पूर्व रेलवे** : कुछ व्यक्तियों की जालसाजी से नियुक्ति का एक मामला नोटिस में आया है ।

(iii) **उत्तर रेलवे** : 14 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें ग्रुप "डी" कर्मचारियों के अनियमित भर्ती का आरोप लगाया गया जिनमें से 11 शिकायतों के मामले में छान-बीन का काम पूरा हो गया है । इन मामलों में कोई अनियमितता नहीं पायी गई है यदि अनियमित भर्ती के मामले नोटिस में आते हैं तो उन व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया जाता है और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

(iv) **पूर्वोत्तर सीमा रेलवे** : ग्रुप "डी" के 13 कर्मचारियों की अनियमित भर्ती का एक मामला पकड़ा गया था । उन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया तथा संबंधित कर्मचारियों को भी सेवा से हटा दिया गया था ।

(v) **दक्षिण रेलवे** : ग्रुप "डी" कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के दो मामले पकड़े गये हैं जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(vi) **दक्षिण पूर्व रेलवे** : अनियमित भर्ती की 5 शिकायतों में से एक मामला प्रमाणित हो गया है और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(ग) रेलों पर ग्रुप "डी" पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित मौजूदा नीति भारतीय रेल स्थापना नियमावली में यथा अंतर्विष्ट भर्ती नियमों में दी गई है, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की समयावधि, भर्ती यूनिट, आयु सीमा का मानदण्ड आदि से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित है ।

Conversion of Railway line between Madurai and Quilon

4803. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the distance between Madurai and Quilon (metre gauge);

(b) whether the conversion from metre gauge to broad gauge has been started, if so, when and if not, the reasons therefor;

(c) what is the estimated cost of the whole project ;